न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–96/2021

प्रार्थी:–

शंकरलाल पुत्र श्री प्रागाराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थी:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना खसरा संख्या 2198/948 रकबा 1.1635 हैक्टयर व सरहद मौजा गोलिया पटवार गोलिया खसरा संख्या 241,242,243 रकबा क्रमशः 2.6305, 1.5429,1.5049 हैक्टयर व सरहद मौजा पीपलून पटवार मण्डल गोलिया में खेत खसरा संख्या 667/551 रकबा 1.1635 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड,ड्राईविंग लाइसेंस व बैंक पास बुक व पेनकार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम शंकरलाल पुत्र प्रागाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत सिवाना पंचायत समिति सिवाना जिला बाडमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम शंकरलाल पुत्र प्रागाराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में चतराराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं चतराराम व शंकरलाल नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । [illegible] भूमि के खातेदार बादरमल पुत्र प्रागाराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे [illegible] अनुतोष प्रदान किये जाने बावत् सहमति जाहिर की ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर चतराराम पत्र प्रागाराम के स्थान पर शंकरलाल पुत्र प्रागाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,ड्राईविंग लाइसेंस व बैंक पास बुक व पेनकार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम शंकलाल पुत्र प्रागाराम दर्ज हैं । ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि चतराराम व शंकरलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना खसरा संख्या 2198/948 रकबा 1.1635 हैक्टयर व सरहद मौजा गोलिया पटवार गोलिया खसरा संख्या 241,242,243 रकबा क्रमशः 2.6305, 1.5429,1.5049 हैक्टयर व सरहद मौजा पीपलून पटवार मण्डल गोलिया में खेत खसरा संख्या 667/551 रकबा 1.1635 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "चतराराम पुत्र प्रागाराम " के स्थान पर " शंकरलाल पुत्र प्रागाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक .30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested